न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अंजली राजोरिया, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 87/2017

तारीख दायरा—30.10.2017

तारीख निर्णय—19.02.2018

1. श्री घासीराम पिता श्री नाथू ब्राहमण निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री रूपलाल पिता श्री नाथू ब्राहमण निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 ए आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से— प्रतिवादी स्वयं

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा सेमटाल पटवार क्षेत्र मजावडी तहसील गोगुन्दा में आराजी नम्बर 504 रकबा 0.0800, 917 रकबा 0.0900 किता 02 कुल रकबा 0.1700 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि का आवंटन वादी के परिवार के पालन—पोषण एवं सामुहिक उपयोग—उपभोग हेतु दिनांक 22.06.1999 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 178 से श्री रूपलाल पिता नाथु ब्राहमण के पक्ष में हुआ था। उक्त आवंटन प्रतिवादी संख्या एक के नाम इसलिये हुआ था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 परिवार में सबसे बडे वारिस थे एवं उस समय परिवारी की आपसी रजामंदी से यह तय हुआ था कि प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में उक्त आराजियात भूमि आ आवंटन होने के पश्चात दोनों भाईयों के मध्य उक्त आराजियात भूमि का पृथक—पृथक रूप से हिस्सा तय कर रजिस्ट्री करवा देगें एवं उक्त आराजियात भूमि के आवंटन से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक 1/2—1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी द्वारा प्रतिवादी को 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 ने मना कर दिया। इसलिये वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद पेश करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

प्रतिवादी स0 01 का ज्ञात नही होने से जवाब कि आवश्यकता नही है । यह कि वाद पत्र कि कलम सं. 08 अस्वीकार है

आराजियात के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रकरण में ईकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ती नही है। प्रकरण में ईकबालिया जवाब पेश होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करने से साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वाद पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी संख्या एक खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई है। वादी वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा अपने नाम पर करवाना चाहता है, जिस पर प्रतिवादी संख्या एक को भी आपत्ती नही है, परन्तु वादग्रस्त भूमि आवंटन शुदा भूमि है, जिसमें वादी का कोई हक नही बनता है। अगर प्रतिवादी, वादी को 1/2 हिस्सा देना चाहता है, तो वह रजिस्ट्री करवा सकता है। इस वाद के जरिये वादी को कोई दाद मुहैया कराना उचित प्रतीत नही होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Anjali

(अंजली राजोरिया)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

प्रतिवादी स0 01 का ज्ञात नहीं होने से

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

प्रारम्भिक वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अंजली राजोरिया, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 87/2017

वादी पक्ष

1. श्री घासीराम पिता श्री नाथू ब्राहमण निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा।

प्रतिवादी पक्ष

बनाम

1. श्री रूपलाल पिता श्री नाथू ब्राहमण निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा वगैरह

वाद बाबत् **अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट**

वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से– प्रतिवादी स्वयं

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 19.02.2018 को प्र होने पर वादी का वाद साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

(अंजली राजोरिया)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

घासीराम

अधिवक्ता
चेतन

सं	सुनवाई तिथि
	15.11.
	27.1
	18/12
	19.2.

प्रतिवादी स0 01 को ज्ञात नही होने से जवाब कि आवश्यकता